


केसरा राम वगैर हरेचंद्राक कोश

राजस्थान आवेदन संख्या ५७/२०२५

अन्तर्गत धारा २१२

08.01.2026

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।
आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नही होने पर उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश ९ नियम २ व आदेश ९ नियम ३ के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


नहायक कलक्टर
बडयरोड

